UPSI180000382004

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

दीवानी वाद संख्या-184/ 2004

1. रामसिंह उम्र 55 वर्ष (मृतक दौरान मुकदमा),

1/ 1. कमलेश कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व० रामसिंह,

2. रामनरायन उम्र 52 वर्ष,

3. जयनरायन उम्र 50 वर्ष, पुत्रगण शिवरतन, निवासीगण ग्राम नटिनियां मजरे मथुरा, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

.....वादीगण।

बनाम

1. राजकुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम नटिनियां मजरे मथुरा, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

2. लालता प्रसाद उर्फ बड़कन्ना उम्र 50 वर्ष,

3. सजीवन उम्र 35 वर्ष, पुत्रगण मैकूलाल, निवासीगण ग्राम भयापुर मजरे मथुरा, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

.....प्रतिवादीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा संस्थित किया गया है।

2. वाद-पत्र में वादीगण के कथन इस प्रकार हैं कि, "नक्शा नजरी में प्रदर्शित मकान ए,बी,सी,डी, वादीगण का मकान है तथा ई,एफ,बी,सी, उसका सहन है। वादीगण के इस मकान का निकास पूरब तरफ है। यह मकान वादीगण का पुश्तैनी मकान है, जिसमें वादीगण सपरिवार रहते हैं। वादीगण का मकान व सहन नक्शा-नजरी में यथास्थान प्रदर्शित है। नक्शा नजरी वाद-पत्र का अंग है। वादीगण के पिता शिवरतन एवं प्रतिवादी संख्या-1 के पिता छोटेलाल सगे भाई हैं, जिनका एक पैतृक मकान व कृषि भूमि खालिदपुर, परगना फ़कर्पुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराईच में थी। शिवरतन एवं छोटेलाल के पिता ने भाइयों के साथ मिलकर अपने जीवन में पारिवारिक समझौता करा दिया, जिसके द्वारा ग्राम नटनिया मजरा मथुरा, जिला सीतापुर का उपरोक्त वादीय मकान व सहन शिवरतन को प्राप्त हुआ एवं खालिदपुर परगना फ़कर्पुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराईच का मकान व सहन छोटेलाल को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उसमें वादीगण के पिता शिवरतन सपरिवार ग्राम नटनिया स्थित वादी मकान में रहते थे एवं वादीगण के चाचा श्री छोटेलाल ग्राम खालिदपुर, परगना फ़कर्पुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.04.27 17:28:55 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.

में रहते थे। शिवरतन की मृत्यु के बाद वादीय मकान व सहन के स्वामी व काबिज वादीगण हैं, सपरिवार रहते हैं तथा छोटेलाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या-1 ग्राम खालिदपुर के मकान का स्वामी व काबिज है, जिसमें वह सपरिवार एवं अपने बहनोई लालता प्रसाद के साथ रहता था। प्रतिवादी संख्या-1 से वादीगण की रंजिश है। प्रतिवादी संख्या-2 तथा 3 प्रतिवादी संख्या-1 के सगे बहनोई हैं। प्रतिवादीगण आपस में दुरभि संधि किये हैं और वादीगण के पूरे मकान व सहन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। उल्लेखनीय है प्रतिवादी संख्या-1 का दूसरे की जमीन हड़प करके उसे बेचने का कार्य करते हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या-2 व 3 उसके सहयोगी रहते हैं। दिनांक-20.07.2004 को कुछ गुण्डों को लेकर प्रतिवादीगण आये और वादीगण के मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जिसका प्रबल विरोध वादीगण एवं गाँव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने किया जिस कारण प्रतिवादीगण फिलहाल अपने कृत्य में सफल नहीं हो पाये हैं किन्तु ऐलानियाँ धमकी दिया है कि वह शीघ्र ही इस पर कब्जा कर लेगें। वादीगण गाँव के सीधे-सादे लोग हैं और वह प्रतिवादीगण की गुण्डई का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। वाद का कारण दिनांक-20.07.2004 को उस समय पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण कुछ गुण्डों को लेकर नक्शा-नजरी में प्रदर्शित मकान व सहन भूमि ए,बी,सी,डी,ई,एफ, पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया और उसी दिन से अनवरत् वाद का कारण विद्यमान है। विवादित भूमि ग्राम नटनियां मजरे मथुरा, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में स्थित है जिसके संबंध में वाद स्थायी निषेधाज्ञा सुनने व निर्णीत करने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अंत में याचना की गयी है कि डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान की जाए कि वादीय मकान व सहन नक्शा-नजरी में प्रदर्शित ए,बी,सी,डी,ई,एफ, जिसकी पैमाइश व चौहद्दी नक्शा-नजरी में अंकित है, स्थित ग्राम नटनियां मजरे मथुरा, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं कब्जा करने से मना किया जाए, वादीगण को प्रतिवादीगण से खर्चा मकुदमा दिलाया जाए तथा अन्य सहायता जो न्यायोचित हो, वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलायी जाए।"

3. प्रतिवादीगण की ओर से लिखित उत्तर कागज संख्या-37क1 प्रस्तुत कर वाद-पत्र की धारा-1 ता 8 के कथनों से इंकार करते हुए विशेष रूप से यह अभिकथन किया गया है कि, "विवादित मकान व सहन पैतृक है। आवश्यक वंशवृक्ष में जोधे के तीन पुत्र शिवरतन (मृतक), छोटेलाल (मृतक) व हिंसित (मृतक) थे। शिवरतन (मृतक) के तीन पुत्र रामसिंह, रामनरायन व जयनरायन है। छोटेलाल (मृतक) के एक पुत्र राजकुमार है तथा हिंसित (मृतक) के कोई वारिस नहीं था। श्री हिंसित पुत्र जोधे जोकि प्रतिवादी संख्या-1 के चचा थे। वह अपने भतीजों वादीगण रामसिंह आदि की दुष्टता से काफी खिन्न थे। श्री हिंसित की सेवा सत्कार प्रतिवादी संख्या-1 ही करता था, जिससे प्रसन्न होकर श्री हिंसित ने अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयत प्रतिवादी संख्या-1 ने अपनी कुल चल

व अचल संपत्ति के संबंध में लिख दी थी, जिसके आधार पर पैतृक कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 को राजस्व न्यायालय में अपने पिता व चाचा श्री हिंसित का मिलाकर 2/3 भाग प्राप्त हो चुका है, जिससे वादीगण बहुत क्षुब्ध थे, खेती में भी हस्तक्षेप कर रहे थे, जिसका स्थगन सिविल न्यायालय से प्राप्त हुआ है, जिससे क्षुब्ध होकर वादीगण ने दूसरा प्रस्तुत वाद मकान व सहन का असत्य एवं निराधार कथनों के आधार पर दायर कर दिया है। विवादित भूमि में 2/3 अंश धारक प्रतिवादी संख्या-1 है तथा 1/3 के ही अंशधारक वादीगण हैं। पूर्वजों के मकान के वादीगण अकेले स्वामी व काबिज नहीं हैं। यद्यपि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 की बहने विवादित मकान व सहन में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं किन्तु कानूनन उनका भी हक व हिस्सा उसमें है, इस कारण पेशबन्दी में बहनोईगण को भी वाद में पक्ष बना दिया गया है। पहले वादीगण बाहर रहते थे, अब प्रतिवादी संख्या-1 रोजगार के संबंध में प्रायः बाहर रहता है किन्तु विवादित मकान पर बराबर प्रतिवादी संख्या-1 का कब्जा है। वादी का वाद अविभाजित पूर्वजों के मकान के संबंध में है, वह लोग अकेले इस मकान व सहन के स्वामी व काबिज नहीं हैं, इस कारण वादीगण का वाद सद्भावनापूर्वक नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से वादीगण का वाद सव्यय खारिज किये जाने की याचना की गयी है।"

4. वादीगण द्वारा अपने प्रतिउत्तर कागज संख्या-44क1 में यह अभिकथित किया गया है कि, "प्रतिवादी द्वारा शिजरा खानदान गलत दिखाया गया है। जोधे के पाँच लड़के नागेश्वर, शिवरतन, हिंसित, जगमोहन व छोटेलाल हैं, इनमें से हिंसित व जगमोहन लावल्द मर चुके हैं तथा नागेश्वर के दो लड़कियाँ हैं जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराल में रहती हैं। हिंसित ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या-1 के हक में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है। वसीयत जाली व फर्जी है व प्रतिवादी संख्या-1 नाजायज तरीके से सम्पत्ति को हड़प करने के लिए साजिशी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा लड़ने का पेशा करता है। जिला बहराइच कैसगंज में भी शिवरतन पुत्र जोधे के नाम अचल सम्पत्ति है और वहाँ वह शिवरतन को लाबल्द मृतक दिखाकर यह कहकर मुकदमा वादीगण से लड़ रहा है कि शिवरतन ने उनके हक में वसीयत की है, जबकि वास्तविकता यह है कि न ही हिंसित ने कोई प्रतिवादी संख्या-1 के हक में वसीयत लिखी है और न ही शिवरतन ने प्रतिवादी संख्या-1 के हक में कोई वसीयत लिखी है। विवादित मकान वादीगण के पिता का बनवाया हुआ है जिस पर केवल वादीगण का ही हक व कब्जा है और वादीगण के पूर्व तनहा वादीगण के पिता शिवरतन का कब्जा था। हिंसित की कृषि योग्य भूमि के संबंध में जाली व फर्जी वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या-1 ने एकपक्षीय रूप से वरासत के आधार पर करबा लिया था जिसको निरस्त कराने के लिए धारा-201 भू-राजस्व अधि के अन्तर्गत कार्यवाही उक्त दीवानी का वाद दायर करने के पहले से ही चल रहा है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित कोई भी आदेश स्वत्व की घोषणा के लिए 229बी०ज०वि०अधि० के अंतर्गत वाद योजित किया जा

चुका है, जो विचारधीन अदालत है। अतः दावा वादी प्रत्येक दशा में डिक्री किये जाने की याचना की गयी है।"

5. पत्रावली पर कमीशन आख्या कागज संख्या-44ग2 मय स्थल कार्यवाही व नक्शा विवादित स्थल कागज संख्या-44ग2/3 दाखिल है, जोकि न्यायालय के आदेश दिनांकित-29.10.2007 द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

6. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक-11.01.2005 को न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये गये-

(1). क्या वादी विवादित सम्पत्ति का मालिक, काबिज व दखील है?

(2). क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

(3). क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

(4). क्या वादी याचित अनुतोष पाने का अधिकारी है?

7. वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची सबूत कागज संख्या-20ग1 से एक किता एक किता जिलाधिकारी, सीतापुर को प्रेषित प्रार्थना-पत्र दिनांकित-31.07.2004/02.08.2004 की प्रति कागज संख्या-21ग1, पाँच किता मूल स्पीड पोस्ट रसीद क्रमशः पुलिस महानिदेशक लखनऊ, मुख्यमंत्री शासन लखनऊ, जिलाधिकारी सीतापुर, अध्यक्ष मानवाधिकारी आयोग गोमतीनगर लखनऊ व पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रेषित है क्रमशः कागज संख्या-22ग1 लगायत 23ग1, दस्तावेजी सूची सबूत कागज संख्या-160ग1 से एक किता खतौनी फसली वर्ष 1413-1418 खाता संख्या-118, गाटा संख्या-544 रकबा 0.870हे० स्थित ग्राम खालिदपुर, परगना फखरपुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच कागज संख्या-161ग1 दाखिल पत्रावली की गयी है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०-1 वादी जयनरायन का साक्ष्य शपथ-पत्र का० संख्या-138क2, वादी साक्षी पी०डब्लू०-2 अली जान का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-139क2, साक्षी पी०डब्लू०-3 हरिश्चन्द्र वर्मा का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-140क2 प्रस्तुत किया गया, जिनका प्रतिपरीक्षण प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है।

8. प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची सबूत कागज संख्या-28ग1 से एक किता इन्तखाब खतौनी खाता संख्या-213, खाता संख्या-215 की नकल क्रमशः कागज संख्या-29ग1 लगायत 30ग1, एक किता वसीयतनामा की छायाप्रति हिंसित बहक राजकुमार, एक किता नकल आदेश दिनांकित-11.07.2003 द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर, एक किता नकल आदेश दिनांकित-01.08.2003 की छायाप्रति द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर वाद संख्या-217/2003 क्रमशः कागज संख्या-31ग1 लगायत 33ग1, दस्तावेजी सूची सबूत कागज संख्या-40ग1 से एक किता उद्धरण खतौनी नकल खाता संख्या-635 व एक किता उद्धरण खतौनी नकल खाता संख्या-135 क्रमशः कागज संख्या-41ग1 लगायत 42ग1, दस्तावेजी सूची सबूत कागज संख्या-75ग1 से एक किता मुख्तारनामा खास असल

नाविश्ते राजकुमार बहक शकुन्तला पत्नी अरविन्द पुत्र रतन दिनांकित-29.01.2005 कागज संख्या-76क2 तथा मौखिक साक्ष्य में किसी भी साक्षी का साक्ष्य शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को वादी साक्षियों से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये गये, परन्तु प्रतिवादीगण न ही न्यायालय में उपस्थित हुए तथा न ही उनके द्वारा वादी साक्षियों से जिरह की गयी। न्यायालय के आदेश दिनांकित-08.12.2023 द्वारा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादी पक्ष का जिरह का अवसर समाप्त किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य दाखिल करने हेतु एक अवसर दिया गया। न्यायालय के आदेश दिनांकित-09.02.2023 द्वारा प्रतिवादी पक्ष की अनुपस्थिति में प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांकित-14.08.2024 द्वारा न्यायालय के पारित आदेश दिनांकित-09.02.2023 को निरस्त करते हुए प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य हेतु पुनः मौका दिया गया, परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांकित-03.07.2025 द्वारा प्रतिवादी पक्ष का अवसर पुनः समाप्त किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। पुनः न्यायालय के आदेश दिनांकित-02.12.2025 द्वारा भी प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 162क1 व 163ग2 हर्जे पर निरस्त किये गये तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। प्रतिवादी पक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित-02.12.2025 का अनुपालन नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी पक्ष का बहस का अवसर भी समाप्त किया गया।

10. मैनें वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-1:-</u> वादबिन्दु संख्या-1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी विवादित सम्पत्ति का मालिक, काबिज व दखील है?** उक्त वादबिन्दु को साबित करने का भार वादीगण है। वादीगण द्वारा अपने वाद-पत्र कागज संख्या-3क1 में यह कथन किया गया है कि, “नक्शा नजरी में प्रदर्शित मकान ए,बी, सी,डी, वादीगण का मकान है तथा ई,एफ,बी,सी, उसका सहन है। वादीगण के इस मकान का निकास पूरब तरफ है। यह मकान वादीगण का पुश्तैनी मकान है, जिसमें वादीगण सपरिवार रहते हैं। वादीगण का मकान व सहन नक्शा-नजरी में यथास्थान प्रदर्शित है। नक्शा नजरी वाद-पत्र का अंग है। वादीगण के पिता शिवरतन एवं प्रतिवादी संख्या-1 के पिता छोटेलाल सगे भाई हैं, जिनका एक पैतृक मकान व कृषि भूमि खालिदपुर, परगना फ़कर्पुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराईच में थी। शिवरतन एवं छोटेलाल के पिता ने भाइयों के साथ मिलकर अपने जीवन में पारिवारिक समझौता करा दिया, जिसके द्वारा ग्राम नटनिया मजरा मथुरा, जिला सीतापुर का उपरोक्त वादीय मकान व सहन शिवरतन को प्राप्त हुआ एवं खालिदपुर परगना फ़कर्पुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराईच का मकान व सहन

छोटेलाल को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उसमें वादीगण के पिता शिवरतन सपरिवार ग्राम नटनिया स्थित वादी मकान में रहते थे एवं वादीगण के चाचा श्री छोटेलाल ग्राम खालिदपुर, परगना फ़करपुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच में रहते थे। शिवरतन की मृत्यु के बाद वादीय मकान व सहन के स्वामी व काबिज वादीगण हैं, सपरिवार रहते हैं तथा छोटेलाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या-1 ग्राम खालिदपुर के मकान का स्वामी व काबिज है, जिसमें वह सपरिवार एवं अपने बहनोई लालता प्रसाद के साथ रहता था।" वादी पक्ष के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित उत्तर-पत्र में यह कथन किया गया है कि, "विवादित मकान व सहन पैतृक है। छोटेलाल (मृतक) के एक पुत्र राजकुमार है तथा हिंसित (मृतक) के कोई वारिस नहीं था। श्री हिंसित पुत्र जोधे जोकि प्रतिवादी संख्या-1 के चचा थे। वह अपने भतीजों वादीगण रामसिंह आदि की दुष्टता से काफी खिन्न थे। श्री हिंसित की सेवा सत्कार प्रतिवादी संख्या-1 ही करता था, जिससे प्रसन्न होकर श्री हिंसित ने अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयत प्रतिवादी संख्या-1 ने अपनी कुल चल व अचल संपत्ति के संबंध में लिख दी थी, जिसके आधार पर पैतृक कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 को राजस्व न्यायालय में अपने पिता व चाचा श्री हिंसित का मिलाकर 2/3 भाग प्राप्त हो चुका है, जिससे वादीगण बहुत क्षुब्ध थे। खेती में भी हस्तक्षेप कर रहे थे जिसका स्थगन सिविल न्यायालय से प्राप्त हुआ है जिससे क्षुब्ध होकर वादीगण ने दूसरा प्रस्तुत वाद मकान व सहन का असत्य एवं निराधार कथनों के आधार पर दायर कर दिया है। विवादित भूमि में 2/3 अंश धारक प्रतिवादी संख्या-1 है तथा 1/3 के ही अंशधारक वादीगण हैं। पूर्वजों के मकान के वादीगण अकेले स्वामी व काबिज नहीं हैं।" इस प्रकार उभय पक्षों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि विवादित सम्पत्ति (मकान व सहन) पैतृक है। वादीगण का यह कहना है कि विवादित सम्पूर्ण सम्पत्ति उन्हें पारिवारिक समझौते से प्राप्त हुई थी, जिस पर वादीगण द्वारा मकान निर्मित किया गया तथा वादीगण उस पर काबिज व दाखिल हैं तथा प्रतिवादीगण उस पर कभी भी काबिज दाखिल नहीं रहे हैं। वादीगण के उक्त कथनों की तस्दीक वादी पक्ष द्वारा दाखिल साक्षी पी०डब्लू-1 जयनरायन, साक्षी पी०डब्लू-2 अली जान व साक्षी पी०डब्लू-3 हरिश्चन्द्र वर्मा ने अपने-अपने साक्ष्य शपथ-पत्र में की है। <u>वादी साक्षी पी०डब्लू-1 जयनरायन ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-138क2 में यह कथन किया है कि</u>, "वादीय मकान व सहन जिसकी चौहद्दी पूरब-मकान अजीजान, पश्चिम-कोलिया, उत्तर-मकान इस्लाम व कोलिया, दक्षिण-कोलिया स्थित ग्राम नटनियां मजरा मथुरा, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर के मालिक काबिज रामसिंह, रामनारायन व जयनरायन हैं। दौरान मुकदमा राम सिंह की मृत्यु हो गयी। रामसिंह के अंश पर उनका पुत्र कमलेश कुमार काबिज व दखील है एवं उक्त वाद में कायम मुकामी है। वादीय भूमि सहन व मकान कमलेश कुमार, रामनरायन, जयनरायन का पैतृक है। मकान में सभी उक्त लोग रहते हैं व सहन का प्रयोग उठने-बैठने हेतु करते हैं।" <u>साक्षी</u>

पी०डब्लू-2 अली जान ने भी अपने साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-139क2 में यह कथन किया है कि, "वादीय मकान व सहन कमलेश कुमार, रामनरायन व जयनरायन का पैतृक है। मकान में सभी उक्त लोग रहते हैं तथा उठने-बैठने हेतु प्रयोग करते हैं। वादीय मकान व सहन से प्रतिवादीगण का कोई हक, वास्ता व सरोकार नहीं है। वादीय मकान व सहन कभी भी राजकुमार आदि के कब्जे व प्रयोग में नहीं रहा।"

12. प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित अभिवचनों में विवादित सम्पत्ति के संबंध में हुए पारिवारिक समझौते का कोई उल्लेख या खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में मुख्यतः यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि में 2/3 अंश प्रतिवादी संख्या-1 का है तथा 1/3 अंश के मालिक व काबिज वादीगण हैं। प्रतिवादी संख्या-1 के चाचा श्री हिंसित पुत्र जोधे ने अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयत प्रतिवादी संख्या-1 के हक में लिख दी थी, जिसके आधार पर पैतृक सम्पत्ति में मृतक हिंसित का 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या-1 को प्राप्त हुआ। प्रतिवादीगण ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में वसीयतनामा कागज संख्या-31ग1 हिंसित बहक राजकुमार दाखिल किया है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल उक्त वसीयत कागज संख्या-31ग1 छायाप्रति है, जोकि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के संबंध में कोई भी मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साक्षियों से न तो जिरह की गयी तथा न ही उनके द्वारा अपना कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल पत्रावली किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए वादीगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि वे विवादित सम्पत्ति के मालिक व काबिज हैं। तदनुसार वादबिन्दु संख्या-1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

13. निस्तारण वादबिन्दु संख्या-2:- उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?** उक्त वादबिन्दु का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक-19.01.2006 को किया गया है, जो इस निर्णय के अंश रहेगा।

14. निस्तारण वादबिन्दु संख्या-3:- उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?** उक्त वादबिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। न्यायालय के आदेश दिनांकित-19.01.2006 द्वारा वाद का मूल्यांकन रु० 5000/- निर्धारित किया गया, जिसके अनुपालन में वादीगण द्वारा वाद-पत्र में पारिणामिक संशोधन किया गया तथा पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया। तदनुसार उक्त वादबिन्दु विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है।

15. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-4:- उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी याचित अनुतोष पाने का अधिकारी है?** पत्रावली पर प्रस्तुत अभिकथनों, दस्तावेजी साक्ष्यों, वादीगण साक्षियों के विश्लेषण के आधार पर वादबिन्दु संख्या-1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अतः वादीगण वाद-पत्र में याचित अनुतोष प्राप्त

करने के अधिकारी हैं तथा अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। तदनुसार वादबिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल वाद-पत्र/ प्रतिवाद-पत्र, साक्षियों के साक्ष्य, दस्तावेजीय साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि वादीगण अपना वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित करने में सफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद/ दावा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद सव्यय आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है कि वे वादीय मकान जिसे वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी, व सहन जिसे वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में ई,एफ,बी,सी, से प्रदर्शित किया गया है, स्थित ग्राम नटनियां मजरे मथुरा, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें तथा न ही कोई हस्तक्षेप करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः-27.04.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित करते हुये उद्घोषित किया गया।

दिनांकः-27.04.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O. Code-UP3474